प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'पांच'

[21/7/2017]

प्रश्न सं. [क्र. 442]

प्रश्नकर्ता– श्री सुंदरलाल तिवारी

वि.स.ता.प्र.क्र.–442 के भाग का परिशिष्ट "एक"

प्रश्न दिनांक–21.7.2017

गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम एवं नियम के अंतर्गत राज्य में की जा रही गतिविधियों का विवरण :–

1. अधिनियम के अंतर्गत उल्लेखित संस्थाओं का जिले स्तर पर जिला समुचित प्राधिकारी/ जिला कलेक्टर द्वारा किया जाता है। पंजीकृत केन्द्रों का हर 03 माह में निरीक्षण का प्रावधान है।
2. राज्य में अधिनियम एवं नियम के क्रियान्वयन हेतु माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी की अध्यक्षता में राज्य सुपरवाईजरी बोर्ड का नियमानुसार गठन किया गया है।
3. राज्य समुचित प्राधिकारी एवं जिला स्तर पर जिला कलेक्टर/जिला समुचित प्राधिकारी द्वारा राज्य एवं जिले में अधिनियम का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है।
4. राज्य समुचित प्राधिकारी एवं जिला समुचित प्राधिकारी के सहयोग हेतु राज्य एवं जिला स्तर पर सलाहकार समिति गठित है। इन समितियों द्वारा निर्धारित समय पर बैठक आयोजित कर आवश्यक परामर्श दिया जाता है।
5. पंजीकृत केन्द्रो के निरीक्षण हेतु राज्य निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण दल का गठन किया गया है। इन दलो द्वारा पंजीकृत केन्द्रों का नियमित, आकस्मिक एवं शिकायत प्राप्त होने पर निरीक्षण किया जाता है।
6. महिला लिंग अनुपात में गिरावट होना देश और राज्य के लिये एक गंभीर सामाजिक समस्या है। इसके लिये समाज में जागृति लाने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार की प्रचार–प्रसार की गतिविधियां सतत् की जा रही है।

(डॉ.बी.एन.चौहान)
संचालक,
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
मध्य प्रदेश

प्रश्नकर्ता– श्री सुंदरलाल तिवारी

प्रश्न दिनांक– 21.7.2017

वि.स.ता.प्र.क्र.–442 प्रश्नांश "आ" का परिशिष्ट-दो

जिला रीवा की वर्षवार शिशु टीकाकरण की उपलब्धियों की जानकारी (वर्ष 2013–14 से 2016–17)

वर्ष	BCG	DPT/Penta-3	Polio-3	Hep-B/Pent-3	Measles
2013-14	45,482	53,410	55,989	52,916	54,190
2014-15	46,130	57,315	46,428	57,860	55,978
2015-16	46,418	52,387	50,418	54,969	53,700
2016-17	48,669	50,740	50,913	51,008	56,202

राज्य टीकाकरण अधिकारी
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश